



Neutral Citation No - 2026:AHC:23917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ब संख्या - 2026 की 448

प्रशान्त राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : ऋषिकान्त राय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।
2. यह निवेदन किया गया है कि चकबन्दी कार्यवाही उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम, 1953 (संक्षेप में यूपीसीएच अधिनियम) की धारा 23 के स्तर तक अंतिम रूप से पूर्ण की जा चुकी थी; तथापि, उसके निहितार्थों पर विचार किए बिना, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके चकबन्दी कार्यवाही निरस्त कर दी गई है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत का निराकरण चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है, और यदि वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नवीन अभ्यावेदन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को इस न्यायालय द्वारा निर्देशित नियत अवधि के भीतर विनिर्णीत करने हेतु निर्देश जारी किया जाए, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस विषय को लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा; अतः यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में उल्लिखित प्रकरण के गुणागुण पर कोई प्रेक्षण किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिमता से निस्तारित करना उचित समझता है, एवं याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे आज से तीन सप्ताह के भीतर इस आदेश की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान रिट याचिका की स्वयं-अभिप्रमाणित प्रति के साथ वर्तमान रिट याचिका में अभिकथित अपनी शिकायत के सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (प्रतिवादी संख्या 2) के समक्ष नवीन अभ्यावेदन दाखिल करें, जो उक्त अभ्यावेदन पर आवश्यकतानुसार जाँच कराते हुए, विधि अनुसार, यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तिथि से पाँच माह की अवधि के भीतर, यदि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, विचार कर विनिर्णय करेंगे।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका अंतिमता से निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

वी.के.जी.

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"